

परियोजना का नाम :-जनपद नैनीताल के अन्तर्गत खुटानी-भवाली-धानाचूली-ओखलकाण्डा-खन्सयू -पतलोट मोटर मार्ग के किमी० 85 में खन्सयू रा०मा० सं० 64 मे 42 मी० स्पान "क्लाश-ए" (स्टील गर्डर) का प्रस्तावित सेतु के निर्माण हेतु।

प्रारुप-30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Nainital

No--Cam

Dated 28-08-2018

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Roeognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.020 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Enginner, World Bank Division, P.W.D., Nainital (name of user agency) for Construction of Khutani-Bhawali-Dhanachuli-Okhalkanda-Khansyu-Patlot Motar Road Bailey Bridge in Km. 85 of kansu, State Road No. 64 in purpose for 48 m. span "Class A" Bridge (purpose for diversion of forest land) in Nainital district falls within jurisdiction of Kala Aagar, Gargadi talli village (s) in Dhari tehsils.

It is further certified that:

- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve reognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

विचा समाज कल्याण अधिकाची सैनीताम

जिलाधिकार

परियोजना का नाम :-जनपद नैनीताल के अन्तर्गत खुटानी-भवाली-धानाचूली-ओखलकाण्डा-खन्सयू -पतलोट मोटर मार्ग के किमी० 85 में खन्सयू रा०मा० सं० 64 मे 42 मी० स्पान "क्लाश-ए" (स्टील गर्डर) का प्रस्तावित सेतु के निर्माण हेतु।

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand, Office of the District Collector Nainital

No-famp

Dated-28-5-16

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 0.020 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Enginner, World Bank Division, P.W.D., Nainital (name of user agency) for Construction of Khutani-Bhawali-Dhanachuli-Okhalkanda-Khansyu-Patlot Motar Road Bailey Bridge in Km. 85 of kansu, State Road No. 64 in purpose for 48 m. span "Class A" Bridge (purpose for diversion of forest land) in Nainital district falls within jurisdiction of Kala Aagar, Gargadi talli village (s) in Dhari tehsils. It is further certified that:

- (b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of Kala Aagar, Gargadi talli villages(s) is enclosed as annexure. 10. to annexure. 2...
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl: As, above.

विद्या समाज कर्रमाण अधिकारी केरीवाम Signature (Full name and official seal of the District Collector)

> जिलाधिकारी **बिजीता**ल

(3)

Main Attachment- 1.6

परियोजना का नाम :-जनपद नैनीताल के अन्तर्गत खुटानी-भवाली-धानाचूली-ओखलकाण्डा-खन्सयू - पतलोट मोटर मार्ग के किमी० 85 में खन्सयू रा०मा० सं० 64 मे 42 मी० स्पान ''क्लाश-ए'' (स्टील गर्डर) का प्रस्तावित सेतु के निर्माण हेतु।

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT -- Namilal (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Nainital

Dated: 20:0518

जिया समाज कल्याण अधिकारी

वैदीसाम

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committe

जिलाधिकार। **गुनीताल**

परियोजना का नाम :-जनपद नैनीताल के अन्तर्गत खुटानी-भवाली-धानाचूली-ओखलकाण्डा-खन्सयू - पतलोट मोटर मार्ग के किमी० 85 में खन्सयू रा०मा० सं० 64 मे 42 मी० स्पान ''क्लाश-ए'' (स्टील गर्डर) का प्रस्तावित सेतु के निर्माण हेतु।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, धारी अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण—पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, धारी


अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्रीमित्री रेखा कि हिल्ली, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की

उपास्थात	त निम्नानुसार ह।	0	
1-	श्री मही रखा काहल	–उपजिलाधिकारी ––– 🛂 🛴 –	अध्यक्ष
2-	श्री - दिमका लेगारी	–उप प्रभागीय वनाधिकारी————	सदस्य
3-	श्री यतीभानन्द्र याञ्ची	–सहायक समाज कल्याण अधिकारी––	सदस्य / सचिव
4-	श्री गलाव सिंह सहता	—बीoडीoसीo क्षेत्र —— <u>३१२गड</u> ी ट	सदस्य
	2	, 1 ,	

उपर्खण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमित से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत खुटानी—भवाली—धानाचूली—ओखलकाण्डा—खन्सयू — पतलोट मोटर मार्ग के किमी० 85 में खन्सयू रा0मा० सं० 64 में 42 मी० स्पान ''क्लाश—ए'' (स्टील गर्डर) का प्रस्तावित सेतु के निर्माण हेतु 0.020 हे० सिविल भूमि विश्व बैंक खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लिम्बत नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्त्व की अनुषंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, मिल्लिका क्रिकारी कि विकास अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मित से उपखण्ड बेतालघाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत खुटानी — भवाली — धानाचूली — ओखलकाण्डा — खन्सयू — पतलोट मोटर मार्ग के किमी० 85 में खन्सयू रा0मा० सं0 64 मे 42 मी० स्पान "क्लाश—ए" (स्टील गर्डर) का प्रस्तावित सेतु के के निर्माण हेतु 0.020 हे० वन भूमि विश्व बैंक खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमित व्यक्त की गयी।



10

Main Attachment- 1.6

परियोजना का नाम :-जनपद नैनीताल के अन्तर्गत खुटानी-भवाली-धानाचूली-ओखलकाण्डा-खन्सयू - पतलोट मोटर मार्ग के किमी० 85 में खन्सयू रा०मा० सं० 64 मे 42 मी० स्पान ''क्लाश-ए'' (स्टील गर्डर) का प्रस्तावित सेतु के निर्माण हेतु।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत का नाम:- १२०१० अल्ली ७५ कर्के १८५० तहसील धारी, जिला नैनीताल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत खुटानी —भवाली—धानाचूली—ओखलकाण्डा—खन्सयू — पतलोट मोटर मार्ग के किमी० 85 में खन्सयू रा०मा० सं० 64 मे 42 मी० स्पान ''क्लाश—ए'' (स्टील गर्डर) का प्रस्तावित सेतु के निर्माण हेतु (शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, 0.020 हे० सिविल सोयम भूमि, शून्य हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 0.020 हे० वन भूमि का विश्व बैंक खण्ड, लोक निर्माण विभाग नैनीताल के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कालाआगर, गरगडी तल्ली द्वारा दिनांक 19-03: 2018 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापित्त प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम काला आगर, गरगडी तल्ली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि विशव बैंक खण्ड, लोक निर्माण विभाग नैनीताल को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

वित्र पंचायत सदस्य गरगडी विव खण्ड आखलकाडा जैनीताल ह0 /— ग्राम सचिव मुहर सहित

सरपंच र्थ) वन पंचायत गरगडी पट्टी गरगडी (नैनीताल)

जायान्ति हेबारे

ह0/-प्रमान स्पर्पंच प्रधान *

-314E

माम पंचाया क्रांडा ग्रेलक

- Wed fre

আন অভায়ত বিলি । ভুতি । , গালিক লাভিন (ুলিলি জন)

परियोजना का नाम :—जनपद नैनीताल के अन्तर्गत खुटानी—भवाली—धानाचूली—ओखलकाण्डा—खन्सयू — पतलोट मोटर मार्ग के किमी० 85 में खन्सयू रा०मा० सं० 64 मे 42 मी० स्पान ''क्लाश—ए'' (स्टील गर्डर) का प्रस्तावित सेतु के निर्माण हेतु।

प्रारुप-30.4

दिनांक 19.03.2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम कालाआगर

		-
कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के	हस्ताक्षर
	नाम	\wedge
1	EINTE	Edwie
2	0141418 000	न्रास्त्र ८
3	ट्र हरे। श्रे जेवाडी	621214451
A	हरपाल सिंह	इर्पाला रिस्ट
5	त्राप सिंह र	प्रापादि १
6	याहान सिंह नेवाडी	Manthe stand
7	ग्राह्म । श्राह	The state of the s
	0 01	310181108
8	RIGILIE	1010112
9	. (1-17-0-2	(2/0/21 &
6)	अग्रित रीभ	जागताचीय
10		95-6-7271
11	कुन्यम् सम्	- 1
12	भी मृती स्वारत। सेवारी	changers)
13		The Page
	नवीन सिंह नाहन पर	2187168
14	वातान सिंह	Glambe (62
15	. मार्थाल ०	(TELT)
16	Alle Old	महिराल
12	Start Sini.	Dy.
19	तीर (उर्वे	

ह0 / प्रधान

परियोजना का नाम :—जनपद नैनीताल के अन्तर्गत खुटानी—भवाली—धानाचूली—ओखलकाण्डा—खन्सयू — पतलोट मोटर मार्ग के किमी० 85 में खन्सयू रा०मा० सं० 64 मे 42 मी० स्पान ''क्लाश—ए'' (स्टील गर्डर) का प्रस्तावित सेतु के निर्माण हेतु।

प्रारुप-30.4

दिनांक ...19.03.201 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम:- गरगडी तल्ली

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के	हस्ताक्षर
	् , नाम	a h
1	सुर्म विष्ट	सुर-ड सिट
2	EKT OFTENST	हीय स्टब्स
3	51327	P /A_
	बांगा हिंह बेहता	318TH Z POECEI
4	_ 1 0	
6	प्रकाम महता	प्रक्रिय सहवा
6	10-121 RENT	God HEUI
	(%)	
	.4	
	*	*
		4
	e e	
9		

EO Komor

ग्राम प्रधान